हरिभूमि
बिलासपुर भूमि - Page 6
21 July 2025

जवाली नाले का दोबारा सीमांकन | जवाली पुल पर बनी सड़क पर सालों से कब्जा कर दुकान और काम्प्लेक्स बन गए

40 से अधिक लोगों का 50 फीट तक कब्जा पाया गया, फिर भी कार्रवाई ठंडी पड़ी

बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने जवाली नाले का फिर से सीमांकन किया है। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है, इसमें 40 से अधिक लोगों का 30 से लेकर 50 फीट तक जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी निगम और राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन किया था। उस दौरान कब्जे वाली दुकानों और मकानों पर रेड मार्किंग की गई थी। बाद में तीन दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन इसके बाद कार्रवाई रोक दी गई थी। ध्यान रहे कि ज्वाली पुल पर बनी सड़क पर सालों से कब्जा कर दुकानें और काम्प्लेक्स बना लिए गए हैं। लगातार शिकायतों के बाद निगम ने दो बार सीमांकन कराया। सीमांकन के दौरान 40 के करीब कब्जे उजागर होने के बाद भी प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माण आज भी जस के तस खड़े हैं। इतना ही नहीं कुछ स्थानों पर तो इन अवैध निर्माणों का काम और तेजी से जारी है। हाल यह है कि जवाली नाले की सड़क के किनारे बने अवैध कमर्शियल काम्प्लेक्स, नजूल भूमि पर हुए कब्जे, और नक्शे के विपरीत खड़ी की गई इमारतें सभी पर निगम की जानकारी होने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। निगम की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर चार आरआई, पांच पटवारी और एक सब इंजीनियर की टीम ने तेलीपारा रोड तक नाले की जमीन की नापजोख की। टीम को यहां 40 मकान, दुकानें और कुछ खाली प्लॉटों पर कब्जा मिला। इनमें कई प्रभावशाली लोगों के निर्माण भी शामिल हैं। ध्यान रहे कि पिछले सीमांकन में भी टीम ने अवैध कब्जों पर रेड मार्किंग की थी, जिससे विवाद शुरू हो गया था। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। अब कोर्ट के आदेश पर दोबारा सीमांकन कर स्थिति साफ की गई है।

नाले और नजूल की जमीन पर भी कब्जा

निगम ने कमल नागवानी, रेश्मा नागवानी और विक्की थदानी के निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया, लेकिन दूसरी ओर प्रकाश आडवाणी, गोपी गंगवानी और अन्य प्रभावशाली लोगों के निर्माणों पर कार्रवाई रोक दी गई। आरोप लग रहे हैं कि निगम प्रशासन रसूखदारों के दबाव में काम कर रहा है। सीमांकन के दौरान नगर निगम व राजस्व विभाग की टीम ने 2 से 3 मीटर तक अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर मार्किंग की पर कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही एक रसूखदार ने चार मंजिला कमर्शियल निर्माण कर दिया। खास बात रही कि यह निर्माण आवासीय नक्शा पास कराकर किया गया। इस रसूखदार ने नाले की बाउंड्री से लेकर बिल्डिंग तक की करीब 3.9 मीटर जमीन और उससे आगे की 11 मीटर जमीन, जो कि नजूल की है, उसे भी कब्जे में ले लिया गया है।

कुछ अतिक्रमण 7 फीट तक किए गए

ज्ञात हो कि नगर निगम और राजस्व विभाग ने एक माह पहले जवाली नाले के दोनों ओर सीमांकन कर अवैध कब्जों की लिस्ट तैयार की थी। इस कार्रवाई में सामने आया कि कई लोगों ने 3 से लेकर 7 फीट तक नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। कुछ ने तो नजूल भूमि को भी नहीं छोड़ा। निगम ने सीमांकन के बाद मकानों और दुकानों पर मार्किंग भी की थी। जिनका कब्जा निकल रहा है, उनमें से कई लोगों को नोटिस जारी किया गया था। दूसरी बार के सीमांकन में तीन लोगों का कब्जा सबसे अधिक 50 फीट तक पाया गया है।

किया गया है सीमांकन

हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने जवाली नाले का फिर से सीमांकन किया है। इसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई होगी।

- खजांची कुम्हार, अपर आयुक्त, नगर निगम